न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 45/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये प्रशासक/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
2. थानाराम पुत्र जेठाजी, जाति–माली, निवासी–जावाल, तहसील व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही (प्रार्थी की ओर से)

–: निर्णयः– **दिनांक 24 अक्टूबर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 12–3–2021 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 0**2** दिनांक 15–3–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही कोई जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी की ओर से श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयुपर के पत्र कमांक एफ 139(48)/पट्टा जांच/सिरोही/विधी/.स./2022/807 दिनांक 24–06–2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559–65 दिनांक 23–07–2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12–03–2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 595 से जारी पट्टा विलेख संख्या **02 दिनांक 15–03–2021** में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी प्रार्थी की ओर से विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत की गई है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिनके पास कई भी कोई गृह या गृह स्थल नही है, और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी झोपडी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है अधिकतम 300 वर्गगज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्रारूप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जाऐगा, जो ऐसी परिवार की मुखिया हो। प्रश्नगत पट्टे की पंचायत पत्रावली संख्या 06/2020–21 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा विलेख संख्या 02 दिनांक15.03.2021 को जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत आवेदन

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पत्र में पुराने गृह का विनियमितीकरण कर पट्टा जारी करने बाबत दिया हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के कोई हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार उक्त जारी विकय विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 की पालना पूर्ण रूप से नही की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी का कोई विवरण पत्रावली पर दर्ज नही है एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर किसी भी वार्ड पंच अथवा सरपंच के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार, उक्त जारी पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। उक्त पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर–2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उपरोक्त पत्रावली में उक्त नियम की पालना पूर्ण रूप से नही की गई। उक्त जारी पट्टा विलेख में पत्रावली के प्रार्थना पत्र में आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नही की गई है। दिनांक 05–2–2021 को आयोजित बैठक में ही पत्रावली दर्ज की गई एवं उसी तिथि को आपत्ति ईश्तिहार जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो कि नही किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल कार्यवाही विवरण के किसी भी टिप्पणी पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नही है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूखण्ड की रंगीन फोटो के पृष्ठ पर कोई फोटो चस्पा नही है। नजरी नक्शे पर आवेदक, गवाह, सरपंच, वार्डपंच एवं हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि विक्रय के सम्बन्ध में 2003 तक के कब्जे के कोई प्रमाण पंचायत पत्रावली पर मौजूद नही है। उक्त कार्यवाही पूर्णतया दोषपूर्ण है। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा नियम विरूद्व पुरूष मुखिया के नाम से जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12–3–2021 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 02 दिनांक 15–03–2021 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12–3–2021 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा विलेख संख्या 02 दिनांक 15–3–2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के अर्न्तगत ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नही है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झौपडी / कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 वर्ग गज तक कब्जे के निःशुल्क विनियमितीकरण के हकदार होंगे। ऐसी भूमि का पट्टा (प्ररुप 23 ख) ऐसी महिला को जारी किया जायेगा जो ऐसे परिवार की मुखिया हो।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32 / 2022 में शिकायत / परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा गठित

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे से संबंधित पंचायत मिसल संख्या 06 दायर दिनांक 22—01—2021 व संबंधित पंचायत रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृह का विनियमितीकरण कर पट्टा जारी करने का अनुरोध किया हुआ है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के हस्ताक्षर नही है एवं प्रार्थना पत्र पर दिनांक भी अंकित नही है, जिसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 की पालना पूर्ण रूप से नही हुई हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी का कोई विवरण पंचायत की उक्त पत्रावली पर दर्ज नही है एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर किसी भी वार्ड पंच अथवा सरपंच के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार, उक्त जारी पट्टा विलेख में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की भी पालना पूर्ण रूप से नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर—2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उपरोक्त पंचायत पत्रावली में उक्त नियम की पालना पूर्ण रूप से नही की गई। दिनांक 05—2—2021 को आयोजित बैठक में ही पत्रावली दर्ज की गई एवं उसी तिथि को आपत्ति ईश्तिहार जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो कि नही किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12—3—2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा संधारित मिसल कार्यवाही विवरण के किसी भी आदेशिका/टिप्पणी पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नही है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूखण्ड की रंगीन फोटो के पृष्ठ पर कोई फोटो चस्पा नही है। नजरी नक्शे पर आवेदक, गवाह, सरपंच, वार्डपंच एवं हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि विक्रय के सम्बन्ध में वर्ष 2003 तक के कब्जे के कोई प्रमाण पंचायत पत्रावली में मौजूद नही है। जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा नियम विरूद्व पुरूष मुखिया के नाम से जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में उक्त प्रश्नगत पट्टा विलेख जारी करने में अनियमितता बरती गई है एवं उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 12—3—2021 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 02 दिनांक 15—3—2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24 अक्टूम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)